तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण सं. – 74/2021 रमेशचंद्र / वीरुसिंह	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
13/01/25	पत्रावली पेश हुई। बतलाब उप.। वकील प्रार्थी ने पट्टाधारक सांवत सिंह पुत्र सबल सिंह के समस्त विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाये जाने हेतु समय चाहा है। वकील प्रार्थी को पट्टाधारक के विधिक वारिसानों को पक्षकार संयोजित करने हेतु दिनांक 15/02/2024 आदेशिका द्वारा निर्देशित किया गया था। उसके पश्चात् वकील प्रार्थी को पर्याप्त अवसर व बार बार हिदायत दी जाने के उपरान्त एवं वकील प्रार्थी स्वयं को नोटेड करवाने के उपरान्त भी आदिनांक तक प्रकरण में पट्टाधारक सावंत सिंह के विधिक वारिसानों को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी को पट्टाधारक के सम्पूर्ण वारिसानों की सूची मय वर्तमान पता, वकील अप्रार्थी से उपलब्ध करवायी गयी। उसके उपरान्त भी सावके आदेश की पालना नहीं की है। वकील प्रार्थी को लगभग 1 वर्ष पूर्व पट्टाधारक के समस्त विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाये जाने हेतु निर्देशित किया था उसके उपरान्त भी वकील प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक उन्हे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो कि न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। न्याय का यह प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि किसी प्रकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व उससे सम्बन्धित समस्त पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है। यादि आवश्यक पक्षकारों को बिना सुने कोई निर्णय पारित किया जाता है तो वह विधि के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है। इसलिये हस्तगत प्रकरण आवश्यक पक्षकार के अभाव में तथा न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने की वजह से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) अति. जिला कलेक्टर, पाली	